

कार्यालय  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +91 172 2563988, 2560706, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8696 / ५५७५

दिनांक : २८-१०-२०२१

सेवा में

वन मण्डल अधिकारी,  
नूह।

विषय : Diversion of 4.778 ha. (1.99 ha. in Mewat-Nuh Division and 2.778 ha. in Palwal Division) of forest land in favour of Executive Engineer, P.H.Engg. Division No. 1, Nuh for laying of DI 900mm drinking water pipe line from Punhana to Mustfabad, under forest division and District Mewat-Nuh and Palwal, Haryana.

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 549 दिनांक 16-9-2021।

उपरोक्त विषय पर संदर्भकित पत्र द्वारा भेजी गई सी०ए० स्कीम में फैसिंग चार्जिंज 160000/- रूपये प्रति आर०के०ए० की दर से लगाया गया है जबकि यह 200000/- रूपये प्रति आर०के०ए० की दर से लगाया जाना है। कृपया संशोधित सी०ए० स्कीम बनाकर तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)  
हरियाणा, पंचकुला।

१०  
२८/१०/२०२१